जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

सत्यराम बनाम रामपति

किस्म मुकदमा दावा नं. 39/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
8/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प देवखेड़ा मे पेश हुयी। कैम्प मे पक्षकार उपस्थित आये। पक्षकारों ने कहा कि अग्रिम दल द्वारा समझाइश करने पर हमने सहमति से बंटवारा कर लिया है हमारा बंटवारा कर दिया जावे। कैम्प मे पटवारी हल्का को कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर कैम्प मे पेश किये गये। जिस पर पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की तथा मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव बंटवारा किये जाने हेतु निवेदन किया। अतः न्यायालय दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझता है अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि रामबेटी बेवा पन्नालाल व रामपति, राजवीर, पप्पू, श्यामवीर पि. पन्नालाल हि. बरा. कौम चमार सा. कयोडी खातेदार के हिस्से में ख.नं. 911/2 (उत्तर दिशा) रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 912/2 (दक्षिण दिशा) रकबा 0-03 बीघा, ख.नं. 914 रकबा 0-08 बीघा, ख.नं. 949 रकबा 1-01 बीघा, ख.नं. 1115/2	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018 उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	(उत्तर दिशा) रकबा 0-10 बीघा, ख०नं० 1116/2 रकबा 0-05 बीघा (उत्तर दिशा) ख०नं० 1104/2 (पूर्व दिशा) रकबा 2-04 बीघा कुल किता -07 कुल रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा रहेगी। इसी प्रकार रामप्यारी बेवा गिरधारी, बंगाली, जगदीश रामदास पि० गिरधारी हि० बरा० कौम चमार सा० कैथेड़ी खातेदार के हिस्से मे आ०ख० नं० 903 रकबा 1-00 बीघा, ख०नं० 911/1 (दक्षिण दिशा) रकबा 0-11 बीघा, ख०न० 912/1 (उत्तर दिशा) रकबा 0-04 बीघा, ख०नं० 915 रकबा 0-09 बीघा ख०नं० 1103 रकबा 1-09 बीघा, ख०नं० 1104/1 (पश्चिम दिशा) रकबा 0-14 बीघा, ख०नं० 1115/1 (दक्षिण दिशा) रकबा 0-10 बीघा ख०नं० 1116/1 (दक्षिण दिशा) रकबा 0-05 बीघा कुल किता 08 कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा रहेगी। उक्त समस्त आराजी बाके ग्राम गढी जोनावद तहसील राजाखेड़ा में स्थित है। तहसीलदार राजाखेड़ा को उक्तानुसार पृथक-पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये गये। डिक्री जारी हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प देवखेड़ा मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	